

प्रेस विज्ञप्तिथाना कोतवालीपुलिस पार्टी पर फायर कर भाग रहे बाइक सवार बदमाश अवैध तमंचे व कारतूसों के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुई कि संतुष्टि माडल शाप पर 3 बदमाश जो असलहा लिए हुए है किसी बड़ी घटना के फिराक में है। जिसके क्रम में-प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के 0के0 गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली से 02 पुलिस टीम बनाकर प्राप्त सूचना के अनुसार संतुष्टि माडल शाप पर दविश देने हेतु पहुंचे कि पुलिस बल देखकर एक मोटर साइकिल पर 3 बदमाश भागने का प्रयास किये कि बदमाश अपने को पुलिस से घिरे पाकर पुलिस बल पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किये कि भागने के दौरान एकाएक मोटर साइकिल से फिसल कर गिर गये जिसमें से एक व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में आ गया तथा 2 बदमाश झाड़ियों का लाभ उठाकर फरार हो गये जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गये अभियुक्त का नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम रोहित गौड़ पुत्र अजय गौड़ सा 0 कुण्डीगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद .315 बोर तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल जिसका कोई कागजात नहीं दिखाने के कारण थाना स्थानीय पर लाकर MV Act. की धारा में सीज किया गया तथा अभियुक्त द्वारा फरार अभियुक्तों का नाम क्रमशः 1.अविनाश सिंह उर्फ टोनी पुत्र त्रिलोकी सिंह सा 0 हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ व 2. निखिल सिंह पुत्र नारायण सिंह सा 0 ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2020 धारा 307/504 IPC व 3/25 A. Act पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. रोहित गौड़ पुत्र अजय गौड़ सा 0 कुण्डीगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी –

1. 1 अदद देशी कट्टा .315 बोर, 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

फरार अभियुक्तों का विवरण

1. अविनाश सिंह उर्फ टोनी पुत्र त्रिलोकी सिंह सा 0 हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़
2. निखिल सिंह पुत्र नारायण सिंह सा 0 ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 – 258/2020 धारा 307/504 IPC व 3/25 A. Act. थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण

1. कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. शमशेर यादव, वरिष्ठ उ0नि0, थाना कोतवाली, आजमगढ़
3. संजय तिवारी चौ.प्र. एलवल, थाना कोतवाली, आजमगढ़
4. अनिल मिश्रा चौ.प्र. ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली, आजमगढ़